

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 484 सन 2020

अनवान :-

1. सरस्वती पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 8/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्रय का पेश किया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910 हैक् मे से 1114/9991 हिस्सा भूमि वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम सुरतादेवी पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज कर रखा है जबकि वादीया का सही नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीया का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुरता पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर सुरता पत्नि सुभाषचन्द्र के स्थान पर सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910 हैक् मे से 1114/9991 हिस्सा भूमि वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम सुरतादेवी पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज कर रखा है जबकि वादीया का सही नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीया का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुरता पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज किया गया है सरपंच ग्राम पंचायत देईदास के अनुसार भी वादीया का नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र है यही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910 हैक् मे से 1114/9991 हिस्सा भूमि वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम सुरता पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज है

वादी का कथन है कि वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र के स्थान पर सुरता पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम सरस्वती होना प्रतित होता है सरपंच ग्राम पंचायत देईदास के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादीया का नाम सरस्वती होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत देईदास के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910 हैक् मे से 1114/9991 हिस्सा में वादीया का नाम सुरता देवी पत्नि सुभाषचन्द्र अंकित है के स्थान पर सरस्वती उर्फ सुरता देवी पत्नि सुभाषचन्द्र संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सरस्वती पत्नि सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 484 सन 2020 निर्णय दिनांक- 08/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910 हैक् मे से 1114/9991 हिस्सा में वादीया का नाम सुरता देवी पत्नि सुभाषचन्द्र अंकित है के स्थान पर सरस्वती उर्फ सुरता देवी पत्नि सुभाषचन्द्र संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)